आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :लखनऊ,जनपद :हरदोई,तहसील :हरदोई
वाद संख्या :-12477/2021
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202110330112477
ज्ञान दर्पण एजुकेशनल सोसीइटी द्वारा (प्रबन्धक ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह) बनाम उ0प्र0 सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी / उप जिलाधिकारी सदर, हरदोई

अन्तर्गत धारा 80 राजस्व संहिता 2006
ग्राम नेवादा, परगना गोपामऊ तहसील व जिला हरदोई।

श्री ज्ञानदर्पण एजूकेशन सोसायटी द्वारा प्रबन्धक ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र स्व0 रामभरोसे निवासी म0नं0 446 सिविल लाइन भाग–5 हरदोई।————————— प्रार्थी।

बनाम

उ0प्र0सरकार———————————————————————————प्रतिवादी।

निर्णय

प्रस्तुत वाद ज्ञानदर्पण एजूकेशन सोसायटी द्वारा प्रबन्धक ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र स्व0 रामभरोसे निवासी म0नं0 446 सिविल लाइन भाग–5 हरदोई की ओर से इस अभिकथन के साथ योजित किया गया कि ग्राम नेवादा परगना गोपामऊ तहसील व जिला हरदोई की खाता संख्या 108 पर अंकित गाटा संख्या 616ख / 0.0250, 617ख / 0.0750 व खाता संख्या 139 की गाटा संख्या 609 / 0.0900 खाता संख्या 138 की गाटा संख्या 607 / 0.9360 व खाता संख्या 107 गाटा संख्या 604 / 0.0300, 605 / 0.3490 का प्रार्थी संक्रमर्णाय भूमिधर है। आवेदक उक्त भूखण्डों पर शिक्षण संस्थान का संचालन कर रहा है। उक्त भूखण्डों पर प्रार्थी द्वारा कृषि कार्य नही किया जा रहा है। प्रार्थी उक्त भूखण्ड़ों पर छात्रावास का निर्माण करना चाहता है। अन्त मे उक्त भूखण्ड को लगान मुक्त करते हुए अकृषिक घोषित किये जाने की याचना की गयी है।

पत्रावली तहसीलदार सदर हरदोई को भेजकर स्थलीय जांच आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार सदर हरदोई ने अपनी जांच आख्या 30.07.2021 इस आशय की उपलब्ध करायी है कि ग्राम नेवादा परगना गोपामऊ तहसील व जिला हरदोई की

——2पर

पृष्ठ संख्या :

Scanned with CamScanner

प्रार्थना पत्र सं. 472/26.10.2024

प्रमाणित प्रतिलिपि :- आदेश दिनांक 26/10/24

न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर - [illegible]

वाद सं. T2241103301124 77 धारा 80

ग्राम [illegible] तहसील [illegible]

[illegible]

[illegible]

रिट ——— Vs ——— [illegible]

तारीख फैसला 26/10/2024

5 टिकट 13 रु

खतौनी सन् 1427–1432 फ0 के खाता संख्या 138 की गाटा संख्या 607 / 0.9360 खाता संख्या 139 गाटा संख्या 609 / 0.0900 खाता संख्या 107 गाटा संख्या 604 / 0.0300, 605 / 0.3490 खाता संख्या 108 की गाटा संख्या 616ख / 0.0250, 617ख / 0.0750 पर ज्ञानदर्पण एजूकेशन सोसाइटी ग्राम बजेहरा तहसील व जिला हरदोई द्वारा प्रबन्धक ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह निवासी म0नं0 446 सिविल लाइन भाग–5 हरदोई का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप दर्ज है। उक्त भूमि पर आंशिक भाग पर विद्यालय बना है तथा आंशिक भाग पर भवन निर्माणाधीन है तथा शेष भाग बाउण्ड्रीवाल से घिरा है। उक्त भूखण्ड पर कृषि कार्य, कुक्कुट पालन, रेशनपालन आदि नही हो रहा है। गाटा संख्या 605 / 0.3490 पर भवन बना है, शेष भूमि बाउण्ड्रीवाल से घिरी है तथा विद्यालय भवन, छात्रावास आदि प्रस्तावित है। उद्घोषणा शुल्क 23680 / – व न्यायशुल्क 23680 / – देय है। अन्त मे ग्राम नेवादा परगना गोपामऊ तहसील व जिला हरदोई की खतौनी सन् 1427–1432 के खाता संख्या 107 गाटा संख्या 605 / 0.3490 मे से 0.3260 उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित करने एवं खाता संख्या 138 गाटा संख्या 607 / 0.9360 खाता संख्या 139 गाटा संख्या 609 / 0.0900 खाता संख्या 107 के गाटा संख्या 604 / 0.0300 खाता संख्या 108 गाटा संख्या 616ख / 0.0250, 617ख / 0.0750 के संयुक्त क्षेत्रफल मे से कुल क्षेत्रफल 1.154 हे0 को उ0प्र0राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 एवं असाधारण गजट 10 मार्च, 2019 के प्रावधानों के अन्तर्गत अस्थाई रूप से अकृषिक घोषित किये जाने हेतु आख्या प्रस्तुत की गयी है।

मेरे द्वारा पत्रावली का भली प्रकार अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम नेवादा परगना गोपामऊ तहसील व जिला हरदोई की खतौनी सन् 1427–1432 फ0 के खाता संख्या 138 पर गाटा संख्या 607 / 0.9360 हे0 व खाता संख्या 139 पर गाटा संख्या 609 / 0.0900 खाता संख्या 108 पर गाटा संख्या 616ख / 0.0250, 617ख / 0.0750 हे0 आवेदक ज्ञानदर्पण एजूकेशन सोसायटी ग्राम बजेहरा द्वारा प्रबन्धक ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र स्व0 रामभरोसे सिंह निवासी म0नं0 446 सिविल लाइन भाग–5 हरदोई के नाम तथा खाता संख्या 107 पर गाटा संख्या 604 / 0.0300 व 605 / 0.3490 हे0 ज्ञानदर्पण एजूकेशन सोसायटी ग्राम बजेहरा द्वारा प्रबन्धक ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र स्व0 रामभरोसे सिंह निवासी म0नं0 446 सिविल लाइन भाग–5 हरदोई व रामनाथ, सन्तराम, अर्जुनलाल, बालकराम पुत्रगण होरीलाल निवासी ग्राम बक्खीपुरवा मजरा नेवादा के नाम सहसंक्रमणीय भूमिधर के रूप मे दर्ज अभिलेख है। जोतचकबन्दी आकार पत्र–45 व 41 के अनुसार प्रस्तावित भूमि आरक्षित श्रेणी की भूमि नही है। आवेदक द्वारा सभी सहखातेदारों का सहमति के विषय मे शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदक द्वारा विक्रय पत्र व न्यायालय कलेक्टर हरदोई द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.02.2015 की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी, जिसके अनुसार उसके द्वारा उपरोक्त भूखण्ड का बैनामा श्रीमती ऊषावर्मा पत्नी स्व0

––3पर

Scanned with CamScanner

लालबिहारी निवासी म0नं0—78 पेनीपुरवा परगना गोपामऊ तहसील व जिला हरदोई जो कि अनुसूचित जाति की सदस्या है से कलेक्टर महोदय की अनुमति प्राप्त करके प्राप्त किये गये है। तहसीलदार सदर हरदोई की आख्या के अनुसार आवेदक के नाम दर्ज उपरोक्त भूखण्डों मे से भूखण्ड संख्या 605/0.3490 पर भवन बना है तथा शेष भूमि बाउण्ड्रीवाल से घिरी है, जिस पर विद्यालय भवन, छात्रावास आदि का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। आवेदक द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार मालियत का 01 प्रतिशत 23,680/— का उद्घोषणा शुल्क व 01 प्रतिशत 23,680/— न्यायशुल्क अदा किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा विभाजन शुल्क मु0 1000/—रू चालान संख्या 123 से दिनांक 20.10.2021 को दाखिल खजाना किया जा चुका है। अतः तहसीलदार सदर हरदोई की आख्या से सहमत होते हुए आवेदक के नाम दर्ज ग्राम नेवादा परगना गोपामऊ तहसील व जिला हरदोई के खाता संख्या 107 भूखण्ड संख्या 605/0.3490 मे से 0.3260 हे0 उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 80 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित करने व खाता संख्या 138 गाटा संख्या 607/0.9360 खाता संख्या 139 गाटा संख्या 609/0.0900 खाता संख्या 107 के गाटा संख्या 604/0.0300 खाता संख्या 108 गाटा संख्या 616ख/0.0250, 617ख/0.0750 के संयुक्त क्षेत्रफल मे से कुल क्षेत्रफल 1.154 हे0 को उ0प्र0राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के अन्तर्गत अस्थाई रूप से अकृषिक भूमि घोषित किये जाने मे किसी प्रकार की कोई विधिक अड़चन प्रतीत नही होती है।

—: **आदेश** :—

अतः तहसीलदार सदर हरदोई की आख्या से सहमत होते हुए ग्राम नेवादा परगना गोपामऊ तहसील व जिला हरदोई की खाता संख्या 107 भूखण्ड संख्या 605/0.3490 मे से 0.3260 हे0 उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 80 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि व खाता संख्या 138 गाटा संख्या 607/0.9360 खाता संख्या 139 गाटा संख्या 609/0.0900 खाता संख्या 107 के गाटा संख्या 604/0.0300 खाता संख्या 108 गाटा संख्या 616ख/0.0250, 617ख/0.0750 के संयुक्त क्षेत्रफल मे से कुल क्षेत्रफल 1.154 हे0 को अस्थाई रूप से अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। आवेदक द्वारा धारा 80 उपधारा (1) के अधीन घोषणा दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तावित गैर कृषि सम्बन्धी गतिविधि प्रारम्भ करने में विफल रहता है तो उपधारा (2) के अधीन जोत या उसके आंशिक भाग की घोषणा व्यपगत हो जायेगी। आदेश की एक प्रति उप निबंधक सदर हरदोई को प्रेषित की जाये। परवाना अमल—दरामद जारी हो। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक :26 अक्टूबर, 2021

26/10/21

(दीक्षा जैन)
उप जिलाधिकारी
सदर—हरदोई।

प्रमाणित प्रति

पेशकार
उप जिलाधिकारी
सदर, हरदोई

26/10/2021

Scanned with CamScanner